आदेश की क्रम सं० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी तारीख के साथ

न्यायालय, भूमि सुधार उप समाहर्ता, अरवल

विविध वाद संख्या 24/2019–2020

(भूदान पत्र–दान पत्र संपुष्टि)

आदेश

31/12/20 दाता राधा किशुन राम दुसाध, पिता– मुंशी राम दुसाध, ग्राम– कोनिका, थाना– अरवल, जिला–अरवल से संबंधित कार्यालय मंत्री जिला भूदान कार्यालय जहानाबाद–सह–अरवल के पत्रांक 52 दिनांक 11.10.2019 द्वारा दान पत्र संपुष्ट हेतु अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में भूदान–यज्ञ–दान पत्र के माध्यम से उपलब्ध कराया गया। भूदान–यज्ञ–दान पत्र से संबंधित भूमि निम्नवत है:–

खाता	खेसरा	रकवा	चौहद्दी
–	3192	05 कठा	उतर–नीज दक्षिण–नीज पूरब–बालचन्द राम पश्चिम–नीज

मौजा– कोनिका, थाना नं०–04, थाना– अरवल,अंचल–अरवल, जिला–अरवल

भूदान दान पत्र के आलोक में वाद संचालित किया गया। दाता की उपस्थिति हेतु कार्यालय पत्रांक 837 दिनांक 31.12.2019 से अंचल अधिकारी, अरवल के माध्यम से नोटिस तामिला कराया गया एवं प्रस्तावित भूमि की जॉच प्रतिवेदन मॉग की गई। दाता के तरफ से कोई उपस्थित नहीं हुए और नहीं किसी के द्वारा आपति दर्ज किया गया। अंचल अधिकारी अरवल से जॉच प्रतिवेदन समर्पित किया गया।

भूदान यज्ञ–दान पत्र एवं अंचल अधिकारी, अरवल ने जॉच प्रतिवेदन का आवलोकन किया। भूदान यज्ञ दान पत्र पर दाता का अंगुठा का निशान है, एवं यदुनन्दन सिंह का नाम गवाह में अंकित है। दिनांक 15.01.1954 को भूदान यज्ञ दान पत्र के माध्यम से भूमि दान दिया गया है। अंचल अधिकारी अरवल ने जॉच प्रतिवेदन में उल्लेखित किया है कि ग्राम कोनिका में खेसरा संख्या 3192 नहीं है, कोनिका में अंतिम खेसरा खेसरा पंजी के अनुसार 1475 है।

अतःअंचल अधिकारी, अरवल के जॉच प्रतिवेदन के आलोक में भूदान यज्ञ दान पत्र में वर्णित भूमि को असमपुष्ट की जाता है। इसकी एक प्रति कार्यालय मंत्री भूदान यज्ञ कार्यालय जहानाबाद–सह–अरवल एवं अंचल अधिकारी करपी को भेजे।

लेखापित एवं संशोधित
31/12/20
भूमि सुधार उप समाहर्ता
अरवल।

31/12/20
भूमि सुधार उप समाहर्ता,
अरवल।